फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पन्नालाल **विपक्षी : छगनलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 27/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 17.12.19 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। मूल वाद स्वीकार होकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। चूंकि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में उभय पक्ष को मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी होने तक पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं, जिससे उक्त प्रकरण में बंटवाडा होने तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनी रहे, ताकि बंटवाडे के दौरान किसी प्रकार की पैचिदगीया उत्पन्न ना हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 का स्वीकार कर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल की आराजी न. 585, 586, 587, 1501/1, 1741 से 1752 किता 16 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक उभय पक्षकारान मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.27 16:53:24 IST
Reason: SelfAttested